



प्रेस नोट थाना टूण्डला दिनांक 09.07.2024 जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना टूण्डला एवं पचोखरा पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के गैंगलीडर अभियुक्त सुखबीर उर्फ सुक्खा पुत्र हजारीलाल यादव निवासी ग्राम उसायनी थाना टूण्डला हाल फ्लेट न0 17 द्वितीय तल सिटी सेंटर अपार्टमेंट स्टेशन रोड कस्वा व थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद की धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत 59 लाख 92 हजार 872 रूपये की अचल सम्पत्ती को मौके पर जाकर कुर्क करते हुए की गयी जब्तीकरण की कार्यवाही।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपराधियों पर लगातार की जा रही है धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही ।

गैंगलीडर अभियुक्त सुखबीर उर्फ सुक्खा पर जनपद के विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक अभियोग हैं पंजीकृत....

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के कुशल नेतृत्व में थाना टूण्डला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 368/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त सुखबीर उर्फ सुक्खा पुत्र हजारीलाल यादव निवासी ग्राम उसायनी थाना टूण्डला, दो मंजिला फ्लेट न0 17 द्वितीय तल सिटी सेंटर अपार्टमेंट स्टेशन रोड कस्वा व थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद की 59 लाख 92 हजार 872 रूपये की अचल सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) (जब्तीकरण) गिरोहबन्द एव असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) 1986 के तहत कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

अभियुक्त सुखबीर उर्फ सुक्खा पुत्र हजारीलाल यादव की कुर्क की गयी अचल सम्पत्ति का विवरण:-

नव निर्मित आवसीय मकान गाटा सं0 273 प्लॉट क्षेत्रफल 99.92 वर्गमी0 कुल कीमत 59,92,872/-रूपये

पूर्व में अभियुक्त सुखबीर उर्फ सुक्खा पुत्र हजारीलाल यादव की कुर्क की गयी अचल सम्पत्ति का विवरण:

गैंगलीडर अभियुक्त सुखवीर उपरोक्त की पूर्व में भी थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा पूर्व में दिनांक 05.08.2022 को 01 करोड 89 लाख 39000 हजार रुपये की चल अचल सम्पत्ति की जा चुकी है कुर्क.....

अभियुक्त सुखबीर उर्फ सुक्खा का आपराधिक इतिहास: -----

1. मु0अ0स0 251/13 धारा 255/258/260/420/467/468 भादवि थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
2. मु0अ0स0 368/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
3. मु0अ0स0 306/22 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)घ 3(1)द एससीएसटी एक्ट थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
4. मु0अ0स0 725/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
5. मु0अ0स0 724/17 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
6. मु0अ0स0 712/17 धारा 60/72 आब0अधि0 थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
7. मु0अ0स0 191/15 धारा 60 आब0अधि व 420 भादवि थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
8. मु0अ0स0 505/17 धारा 174ए भादवि थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
9. मु0अ0स0 321/17 धारा 420 भादवि व 60/72 आब0अधि0 थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
10. मु0अ0सं0-123/99 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
11. मु0अ0सं0-131/2000 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
12. मु0अ0सं0-144/2020 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
13. मु0अ0सं0-102/2001 धारा 18/22 एनडीपीएस एक्ट थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
14. मु0अ0सं0-65/2002 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद।

कुर्की की कार्यवाही करने वाली टीम--

- श्री गजेन्द्र पाल सिंह उपजिलाधिकारी टूण्डला
- श्री राजेश कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी टूण्डला
- श्री अनुज कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना टूण्डला (मय फोर्स)
- श्री सचिन कुमार थानाध्यक्ष पचोखरा (मय फोर्स)